



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वादपत्र स0 159/2018

बिरदा पुत्र रामा जाति धाकड़ निवासी काबरिया तहसील केकडी जिला अजमेर

—वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

—प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम सपटित धारा 136 राज. भू-राजस्व अधि.

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

निर्णय

दिनांक 08.06.2018

पत्रावली आज लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प देवगांव में पेश हुई। वादी /प्रतिवादी उपस्थित। उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपटित धारा 136 भू-राजस्व अधि. के तहत मय दस्तावेज पेशकर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम देवगांव के जामबन्दी संवत 2073-76 के खाता संख्या 589, 1111, 1009 में वादी का नाम क्रमशः बरदा पुत्र श्रीराम, बिरधा पि. रामा, बरदा पि. रामा दर्ज है जबकि मैरा वास्तविक नाम बिरदा पि. रामा है। अतः उक्त खाता संख्या 589, 1111, 1009 में दुरुस्त करवाकर मेरा सही नाम बिरदा पि. रामा दर्ज किया जावे।

हमने वादी का वादपत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। जवाब सरकार की ओर तहसीलदार केकडी से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम देवगांव के जामबन्दी संवत 2073-76 के खाता संख्या 589, 1111, 1009 में वादी का नाम क्रमशः बरदा पुत्र श्रीराम, बिरधा पि. रामा, बरदा पि. रामा दर्ज कर दिया गया है, जिसे दुरुस्त करवाकर बिरदा पि. रामा दर्ज किया जाना उचित है।

हमने वादपत्र का अवलोकन किया साथ ही तहसीलदार केकडी भू.अभि.निरी. व पटवारी हल्का देवगांव की रिपोर्ट का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम देवगांव के जामबन्दी संवत 2073-76 के खाता संख्या 589, 1111, 1009 में वादी का नाम क्रमशः बरदा पुत्र श्रीराम, बिरधा पि. रामा, बरदा पि. रामा दर्ज कर दिया गया है, जिसे दुरुस्त करवाकर बिरदा पि. रामा का अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है। यदि किसी न्यायालय में कोई आपारधिक वाद या जांच बरदा पुत्र श्रीराम, बिरधा पि. रामा या बरदा पि. रामा के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का वादी का बरदा पुत्र श्रीराम, बिरधा पि. रामा या बरदा पि. रामा के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिये भी बरदा पुत्र श्रीराम, बिरधा पि. रामा या बरदा पि. रामा नाम ही प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार केकडी को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 08.6.2018 को केम्पकोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प देवगांव में मज में आम में सुनाया गया व पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे एंव उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी